भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2211
सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक)

नौकरी खो चुके लोगों के लिए रोजगार

2211. श्री मलूक नागरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कंपनियों, कारखानों, उद्योगों, मॉल, दुकानों में काम करने वाले लोगों और मीडिया कर्मियों, जो कोरोना वैश्विक महामारी और विश्वव्यापी लॉकडाउन के समय अपनी नौकरी खो चुके हैं, को रोजगार देने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की उनकी सुरक्षा के लिए नया कानून लाने और उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे कर्मचारियों और मजदूरों के लिए जिन्हें अभी तक उनका पूरा वेतन नहीं मिला है कोई कानून बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई नीति तैयार कर रही है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) समाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि को बहाल करने हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है।

सरकार विशेष रूप से प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने, असंगठित क्षेत्र के लिए कामगारों, एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आत्मानिभर वित्तीय पैकेज के अंग के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) प्रारंभ किया है।

प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/-रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाया है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान किया है। पीएमजीकेवाई योजना के तहत 38.82 लाख पात्र कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में 2567.66 करोड़ रु. डाले गए थे।

ईएसआईसी अटल बीमित व्यक्तिय कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी की आकास्मिक्ता में बीमित व्यक्तियों (आईपी) को राहत प्रदान करता है जिसके तहत, अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए नकद राहत प्रदान की जाती है बशर्ते की बीमित व्यक्ति बेरोजगार हो जाने से पूर्व कम से कम 2 वर्षों के लिए बीमा योग्य रोजगार में था। योजना, जो कि आरंभ में 2 वर्षों के लिए प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित की गई थी, 01.07.2018 से प्रभाव में आई।

ईएसआई निगम ने इस योजना का अन्य एक वर्ष अर्थात् 01-07-2020 से 30.06.2021 तक औसत दैंनिक आय के 25% से बढ़ाकर 50% करने तथा 24.03.2020 से आगे बीमित व्यक्तियों हेतु पात्रता शर्तों में छूट के साथ विस्तार कर दिया है।

सरकार ने चार श्रम संहिताओं नामतः मजदूरी पर संहिता, 2019, औद्योगिक संबध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यकारी दशाएं संहिता, 2020' अधिसूचित की हैं। श्रम कानूनों का संहिताकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, परिभाषाओं एवं प्राधिकारियों की बहुलता को कम करता है एवं श्रम कानूनों के प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं कार्यान्वयन को सुकर बनाता है तथा प्रवर्तन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाता है जो और अधिक उद्यमों की स्थापना का संवर्धन करेगा जिससे देश में रोजगार अवसरों का सृजन व उत्प्रेरण होगा। यह श्रम बाजार की कठोरता को भी घटाकर उद्योगों की स्थापना का भी संवर्धन करेगा तथा परेशानी रहित अनुपालन को सुकर बनाएगा।

*****